

26.3.24

पत्रावली फेरा हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं।  
वादी एवं वकील वादी को आवाजे लगाई गई  
होजि नहीं आते फर् जायिक, -पत्र 21.2.22 व  
दिनांक 20.7.22 को जारी अस्पष्ट विवेचना  
अनुक हाजरी अनुक पंरवी से (कारज विजागना  
है। पत्रावली गंत ले कर डोक शरीकल दफ्त  
है।

आदेश ले इजलाह हुगदा गदा।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
सूरतगढ  
जिला श्री गंगानगर